न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 25/2025

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2025/140

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी पाली		दिलशाद पुत्र मो. आसिफ निवासी रांगणिया मोहल्ला पाली हाल प्रोपराईटर मैसर्स अंसारी ऑटो रिपेयर्स पोस्ट ऑफिस के सामने पुराना बस स्टेण्ड पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी उपस्थित।

अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16.07.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन आदेश, 2000 के क्लॉज 3ए.सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से जब्तसुदा 17 सिलेण्डर मय एक गैस भरने की इलेक्ट्रीक मशीन मय ट्यूब रेग्यूलेटर को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 11.04.2025 को मन जिला रसद अधिकारी हमराह श्री जितेन्द्रसिंह आशिया, प्रवर्तन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलींग एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान पाली शहर में पोस्ट ऑफिस के पास स्थित प्रतिष्ठान मैसर्स अंसारी ऑटो रिपेयर्स पर पहुंचे। मौके पर दिलशाद उपस्थित मिले, जिन्होंने खुद को प्रतिष्ठान का प्रोपराईटर होना बताया। मौके पर रूबरू मौतबिरान मो. शाबिर पुत्र सदाकत अली, निवासी बिडलों का बास, बादशाह का झण्डा, पाली एवं जावेद पुत्र जहूर मो., निवासी हवाई जहाज बिल्डिंग के पास, पाली की उपस्थिति में प्रतिष्ठान में जांच के दौरान 17 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) भारत गैस एवं 1 इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन पायी गयी, जिससे अवैध रूप से सिलेण्डरों का भण्डारण, रिफलींग एवं बेचान की पुष्टि होती है। अप्रार्थी से मौके पर प्राप्त गैस सिलेण्डर से सम्बन्धी आवश्यक विधिक दस्तावेज मांगने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, न ही संतोष जनक जवाब दिया। जिस पर गैस

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सलेण्डर के अवैध रूप से भण्डारण, रिफलींग एवं बिक्री किये जाने पर गैस सिलेण्डरों का उपयोग रूकवाया जाकर मौके पर मैसर्स पाली रूचिता गैस, पाली शहर के प्रतिनिधी द्वारा हैंगिंग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी–1 के अनुसार स्थिति पाई गई :–

सारणी–1

(वजन Kg.मे)

क्र. सं.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार / क्षमता	भरे हुये सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	29.500	15.900	13.600	232809
2	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	29.800	16.000	13.800	850380
3	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	30.100	16.200	13.900	778357
4	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	29.600	15.600	14.000	709255
5	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	29.700	15.500	14.200	199439
6	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	29.500	15.400	14.100	371780S
7	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	29.700	15.600	14.100	205962
8	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	30.000	15.900	14.100	645971
9	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	29.800	15.700	14.100	981455
10	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	29.700	15.800	13.900	276671
11	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	29.800	15.800	14.000	576658
12	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	30.000	16.000	14.000	267179
13	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	15.400	15.400	0.000	435487
14	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	15.700	15.700	0.000	493033
15	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	15.700	15.700	0.000	358263
16	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	15.400	15.400	0.000	145291
17	घरेलू गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	15.900	15.900	0.000	697195
एक इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय ट्यूब रेगूलेटर							

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी–1 में वर्णित गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु राकेश पालरेचा पुत्र बाबूलाल, निवासी 204, टैंगोर नगर, अरहिन्त विला, पाली शहर हाल मैनेजर मैसर्स रूचिता गैस सर्विस, पाली को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलु गैस सलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा 17 गैस

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सिलेण्डरों एवं एक गैस भरने की इलेक्ट्रीक मशीन मय ट्यूब रेग्युलेटर को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी संख्या 01 ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी की फर्म से प्रवर्तन अधिकारी पाली द्वारा जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के परिचितो के है जिसे उनकी फर्म में भरवाने के लिए रखे थे। जिनका व्यवयायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था, उपरोक्त प्रकरण मिथ्या एवं झुठा है। अतः हस्तगत प्रकरण विधिविरूद्ध होने से खारिज फरमाकर प्रार्थी द्वारा जब्त गैस सिलेण्डर एवं एक इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय ट्यूब रेग्युलेटर अप्रार्थी को लौटाया जावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा पाली शहर में पोस्ट ऑफिस के पास स्थित अप्रार्थी के प्रतिष्ठान मैसर्स अंसारी ऑटो रिपेयर्स पर घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण दौरान पहुंचे, जहां पर अप्रार्थी एवं मौके पर रूबरू मौतबिरान मो. शाबिर पुत्र सदाकत अली, निवासी बिडलों का बास, बादशाह का झण्डा, पाली एवं जावेद पुत्र जहूर मो., निवासी हवाई जहाज बिल्डिंग के पास, पाली की उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म का निरीक्षण करने पर अप्रार्थी की फर्म में कुल 17 घरेलु गैस सिलेण्डर (भारत गैस) के पायेग गये, जिनका अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से भण्डारण, रिफलींग एवं बिक्री की जा रही थी। उक्त गैस सिलेण्डर के उपयोग के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पर्चा से होती है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौकाफर्द के अवलोकन से भी यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण, रिफलींग एवं बिक्री की जा रही थी, जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त 17 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग रूकवाकर हैगिंग स्केल द्वारा तौल किया एवं जब्तशुदा 17 गैस सिलेण्डर एवं एक गैस भरने की इलेक्ट्रीक मशीन मय ट्यूब रेग्यूलेटर को मैसर्स रूचिता गैस, पाली को सुपुर्द किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर द्रवित गैस, पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवसं विनियमन) आदेश, 2000 के तहत की है। लिहाजा उक्त जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उपरोक्त सारणी–1 में वर्णित 17 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग (भण्डारण, रिफलींग एवं बिक्री) किए जाने पर जब्तसुदा गैस सिलेण्डरो के अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना किये जाने से उक्त 17 घरेलु गैस सिलेण्डरों को मय गैस एवं एक इलेक्ट्रीक गैस भरने की मशीन मय् ट्यूब रेगूलेटर को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डर को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 86(8)खा.ले. / नीति / 6ए / 2020 जयपुर दिनाँक 19.08.2000 एवं उसकी पालना में खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F04{23} खा. ले / नीति / 6A / 89 जयपुर दिनाँक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों एवं एक गैस भरने की इलेक्ट्रीक मोटय मय रेग्यूलेटर नली के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली